–: सामुदायिक शौचालय :–

जनपद की 670 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्मित हैं, जिसका संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा हैं। चयनित स्वयं सहायता समूहों को वित्त आयोग में उपलब्ध धनराशि से ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाता हैं। चयनित स्वयं सहायता समूहां को केयर टेकर के मानदेय के रूप मे प्रतिमाह मु0–6000/– तथा लॉजिस्टिक व्यवस्था हेतु मु0–3000/–का भुगतान किया जा रहा है।